2025/30

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री भंवरसिंह मेडतिया पुत्र श्री मोतीजी
निवासी महाराणा प्रताप नगर
आबूपर्वत
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 12 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 03.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट के पुत्र श्री वीरेन्द्रसिंह के नाम से भवन रिपेयर के टोकन मात्र हस्ताक्षरों के लिए रोके जाने का कारण अवगत करावें तथा आबूपर्वत में रिपेयरिंग हेतु कुल जारी टोकन की सूची पूरे वर्ष की उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 03.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट के पुत्र श्री वीरेन्द्रसिंह के नाम से भवन रिपेयर के टोकन मात्र हस्ताक्षरों के लिए रोके जाने का कारण अवगत करावें तथा आबूपर्वत में रिपेयरिंग हेतु कुल जारी टोकन की सूची पूरे वर्ष की उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही** Signature Not Verified Digitally signed by Alpa Choudhary Date: 2025.09.19 17:53:48 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner